Case दी केरल एजुकेशन बिल →

इस मामले में न्यायालय ने मत व्यक्त कि कि नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर आधिपत्य नहीं होंगे। न्यायालय ने कहा कि विरोध कि स्थिति में सामंजस्यपूर्ण निर्वाचन का सिद्धान्त अपनाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(2).

Law मद्रास राज्य

V/s

चम्पाकम दोराइराजन।

के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ आया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जायेगी?

न्यायालय ने निर्णय दिया कि

Scanned with CamScanner

[एक नया आयाम ⇒ इसके अन्तर्गत न्यायालय ने कुछ नीति निदेशक तत्वो को मूल अधिकार का दर्जा दिया है जो न्यायालय द्वारा लागू

① उन्नी कृष्णन के मामले मे → Artical-45 के मूल अधिकार का दर्जा दिया गया 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा अधि है (Artical 21 (क))

② रनधीर सिंह V/S भारत संघ के मामले मे समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार

Artical →

Scanned with CamScanner

इस संशोधन द्वारा Artical 31 (ग) में पुनः संशोधन किया और उसके विस्तार को और बढ़ा दिया उसमें निदेशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। Artical 31 ग केवल दो नीति निदेशक तत्वों [A-39 के खण्ड (ख) या (ग)] मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करता था।

(6)

मिनर्वा मिल

V/s

भारत संघ

के मामले में उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधिपतियों की पूर्ण पीठ ने 4:1 के बहुमत से संशोधित Artical 31 ग (जो 42 वे संशोधन में संशोधित किया गया था)

Scanned with CamScanner

सहायता

Articul 39(क)

4) कन्ज्यूमर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर

V/s

भारत संघ

कर्मकारो को चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया।

Scanned with CamScanner

संतोष नहीं हुआ। यह तर्क दिया कि न्यायालय अभी भी निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन में रोड़ा अटका रहे हैं इसी स्थिति के निराकरण के उद्देश्य से 25 वाँ और 42 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

(3) संविधान (25 वाँ संशोधन अधिनियम 1971

इस संशोधन द्वारा संसद ने निदेशक तत्वों के महत्व को और बढ़ा दिया। संशोधन द्वारा Artical 31 में एक नया Artical 31 (ग) जोड़ा गया। जो राज्य को Artical 39 ख और (ग) में निदेशक तत्वों को कार्यान्वयन के लिए विधि बनाने को शक्ति प्रदान करता है ऐसी विधि शून्य करार नहीं होगी कि वह Artical - (14) और (19) के द्वारा गारण्टी किये मूल अधिकारों अतिक्रमण करती है

केरल राज्य

के मामले में न्यायाधीश हेगड़े और मुखर्जी ने कहा है "मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व हमारे संविधान के अन्तःकरण है।

मूल अधिकारों का प्रयोजन → समाजवादी समाज का निर्माण, समाज के उत्पीड़न या बन्धनों से नागरिकों को मुक्त कराना है।

निदेशक तत्वों का प्रयोजन → सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को नियत करना जो अहिंसात्मक सामाजिक क्रान्ति द्वारा तत्काल प्राप्त किये जा सकते हैं। मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं वे एक-दूसरे के पूरक है।

Scanned with CamScanner

Date ______
Page ______

Q. ①

नीति-निदेशक तत्व और मूल अधिकारो मे सम्बन्ध

नीति-निदेशक तत्वो और मूल अधिकारो मे मुख्य अन्तरण यह है कि जहाँ मूल अधिकार वाद्ययोग्य है, 'नीति-निदेशक तत्व वाद योग्य नही है' Artical-37 यह कहता है स्पष्टरूप से कि इस भाग मे अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नही होंगे, किन्तु फिर भी इनमे अधिकथित तत्व देश के शासन मे मूलभूत है और विधि बनाने मे इन तत्वो को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मूल अधिकार न्यायालयो द्वारा प्रवर्तनीय है। अर्थात न्यायालय मूल अधिकार से असंगत किसी विधि को अवैध घोषित करने के लिए बाध्य है लेकिन कोई भी विधि इस आधार पर अवैध नही घोषित की जा सकती है कि वह नीति निदेशक तत्वो के विरोध मे है और न ही न्यायालय सरकार को इन निदेशो के क्रियान्वित करने के लिए कोई आदेश दे सकता है

Scanned with CamScanner